न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर

**अपील संख्याः–29/18 (आरसीएमएस नं. 2018/00040)**

1. गणेश शर्मा पुत्र स्व. श्री बद्रीनारायण,उम्र लगभग 45 वर्ष,
2. हनुमान सहाय शर्मा पुत्र स्व. श्री बद्रीनारायण, उम्र लगभग 40 वर्ष,
3. प्रभूनारायण शर्मा पुत्र स्व. श्री बद्रीनारायण उम्र लगभग 22 वर्ष,
4. श्रीमती तुलसा देवी पत्नी स्व. श्री बद्रीनारायण, उम्र लगभग 62 वर्ष,
5. भौंरीलाल शर्मा पुत्र स्व. गोविन्दनारायण, उम्र लगभग 64 वर्ष,
6. रामप्रसाद शर्मा पुत्र स्व. श्रीनारायण, उम्र लगभग 60 वर्ष,
7. रामअवतार शर्मा पुत्र स्व. श्रीनारायण, उम्र लगभग 45 वर्ष,
8. राजेश उर्फ राजू शर्मा पुत्र स्व. श्रीनारायण, उम्र लगभग 35 वर्ष,

——अपीलार्थीगण

बनाम

1. श्रीमती भौरीदेवी पत्नी श्री लालराम उर्फ लल्लूराम, उम्र लगभग 60 वर्ष, जाति हरियाणा ब्राहाम्ण, निवासी ग्राम कचौलिया, तहसील बस्सी, जिला जयपुर।
2. रामेश्वर प्रसाद शर्मा पुत्र स्व. श्री गोविन्दनारायण, उम्र लगभग 60 वर्ष,
3. शंकरलाल शर्मा पुत्र स्व. श्री गोविन्दनारायण, उम्र लगभग 45 वर्ष, जातियान हरियाणा ब्राहाम्ण, निवासीयान ग्राम कानोता, तहसील बस्सी, जिला जयपुर।

——उत्तरदातागण

4. सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील बस्सी, जिला जयपुर।

——औपचारिक उत्तरदाता

निर्णय

दिनांकः 23.10.2018

अपीलार्थी द्वारा यह अपील न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, प्रथम जयपुर के निर्णय दिनांक 28.12.2017 के विरूद्ध राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपील के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय पारित करते समय इस तथ्य को पूरी तरह से नजरअदाज कर दिया कि प्रश्नगत नामान्तरकरण दिनांक 21.12.1991 को खोला गया, जिसे लगभग 23 वर्ष तक श्रीमती भौरीदेवी द्वारा चुनौति नही दी गई तथा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम में विलम्ब को उपमर्षित करने का जो कारण वर्णित किया कि अपीलान्ट ग्रामीण अनपढ महिला है उसे कानून की जानकारी नही है, उक्त आधार विलम्ब उपमर्षित किये जाने का न्यायोचित आधार नही है क्योंकि यह विधिक का सुस्थापित सिद्धान्त है कि "इग्नोरेन्स ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज" किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त सिद्धान्त को नजरअन्दाज कर एवं पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों, दस्तावेजात व अभिवचनों के विरूद्ध अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जो सरसरी तौर पर ही अपास्त किये जाने योग्य है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य को नजरअन्दाज कर दिया कि वादग्रस्त आराजी के सम्बन्ध में उपखण्ड

संभागीय आयुक्त

P.T.O.

अधिकारी बस्सी के समक्ष श्रीमती भौरी ने एक वाद बाबत घोषणा, तकासमा एवं स्थायी निषेधाज्ञा वाद संख्या 63/2014 प्रस्तुत कर रखा है और उक्त वाद में तनकीयात भी दिनांक 10.06.2017 को कायम हो चुकी है, जहॉ पक्षकारों के अधिकारों के बाबत घोषणा का वाद लम्बित हो वहॉ पक्षकारों के अधिकारों को निर्धारण धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत किया जाना कतई न्यायोचित नही है तथा अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य को भी नजरअन्दाज कर दिया कि अपीलार्थी ने अपने आपको सूरजनारायण की पुत्री बताते हुये अपना अधिकार क्लेम किया है तथा इस प्रश्न का अवधारण बिना विषद साक्ष्य के संभव नही है, लिहाजा अपीलाधीन निर्णय अपास्त किये जाने योग्य है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि भौरीदेवी सूरजनारायण की पुत्री है अथवा नही इस प्रश्न का निर्धारण उसके द्वारा किये गये नियमित वाद संख्या 63/2014 में किया जा सकता है तथा उक्त वाद अभी लम्बित है किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य को भी नजरअन्दाज कर अपीलाधीन निर्णय पारित किया है लिहाज निर्णय अपास्त किये जाने योग्य है। उन्होने आगे कथन किया है कि नामान्तरकरण खोले जाने की दिनांक 21.12.1991 के पश्चात् अपीलार्थीगण लम्बी अवधि से निरन्तर, निर्विध्न, शान्तिपूर्ण तरीके से वादग्रस्त आराजी पर काबिज काश्त है किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने वर्षो पुराना नामान्तरकरण निरस्त कर प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरित कार्य करते हुए अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, जो निरस्तनीय है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि नामान्तरकरण खोले जाने से पूर्व तहसीलदार, हल्का पटवारी द्वारा समुचित जॉच की गई तथा जॉच के समय श्रीमती भौरीदेवी द्वारा कोई आपत्ति दर्ज नही की गई, यदि जॉच में कोई अनियमिता भी रही हो तो उसे 23 वर्ष पश्चात् निरस्त किया जाना कतई न्यायोचित नही है किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने इस समस्त तथ्यों को एव प्रचलित कानूनी प्रावधानों, न्यायिक विनिश्चियों, प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरित जाकर अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, जो निरस्तनीय है। अतः अपीलार्थी की द्वितीय अपील स्वीकार फरमाकर अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, प्रथम जयपुर द्वारा अपील संख्या 20/2016 उनवानी श्रीमती भौरीदेवी बनाम सरकार वगै0 में पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 28.12.2017 को अपास्त फरमाये जाने की आज्ञा न्यायहित में सादिर फरमावे तथा नामान्तरकरण संख्या 561 दिनांक 21.12.1991 ग्राम कानोता की पुष्टि किये जाने की आज्ञा सादिर फरमावें।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या ने अपील के तथ्यों को अस्वीकार करते हुए कथन किया है कि अपीलान्ट्स द्वारा प्रस्तुत अपील विधि विरूद्ध एवं कानून के विपरित होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है क्योंकि जो अपील अपीलेट न्यायालय में प्रस्तुत की जाती है वह अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित किया जाता है उसके विरूद्ध की जाती है लेकिन यहॉ अपीलान्ट ने जो वर्तमान अपील प्रस्तुत की है उसमें अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय

संभागीय आयुक्त
जयपुर

पारित किया है उसके तथ्यों से हटाकर अपील प्रस्तुत की है, अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो आदेश पारित किया है एवं अपने निर्णय में जो तथ्य दर्ज किये है उनका ना तो कोई खण्डन किया है एवं ना ही अपनी प्रस्तुत अपील में उनको उल्लेखित किया है इसलिये भी अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील विधि विरूद्ध एवं कानून के विपरित होने के कारण खारिज किये जाने योग्य है।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर प्रथम के समक्ष दौराने बहस सरकार कि ओर से पैरोकार सरकार ने एवं वर्तमान अपीलान्ट 1 लगायत 8 गणेश, हनुमान, प्रभूनारायण, श्रीमती तुलसादेवी, भौरीलाल, रामप्रसाद, रामअवतार, राजेश की ओर से उपस्थित अधिवक्ता श्री कृष्ण शर्मा एवं वर्तमान रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3 रामेश्वर व शंकरलाल की ओर से उपस्थित अधिवक्ता श्री हनुमान सहाय शर्मा ने भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं नामान्तरकरण संख्या 561 दिनांक 21.12.1991 को निरस्त कर पुनः पक्षकारों को सूचित कर जॉच करने की सहमति दी थी जो कार्यवाही अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बस्सी के समक्ष सुनवाई की प्रक्रिया जारी हो चुकी है इसलिये भी अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत विधि विरूद्ध कानून के विपरित होन से खारिज किये जाने योग्य है।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने कथन किया है कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा विधि का यह प्रतिपादित सिद्धान्त 2000 डीएनजे (राजस्थान) पेज 235 में यह सद्धान्त पारित किया है कि यदि किसी पक्षकार ने कोई तथ्य स्वीकृत कर लिया है तो उसको प्रमाणित करने की आवश्यकता नही है यहॉ भी यह सिद्धान्त लागू होता है क्योंकि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष सभी पक्षों ने तहसीलदार बस्सी द्वारा पारित निर्णय को निरस्त कर पुनः जॉच करने बाबत सहमति दी है इसलिये भी अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज किये जाने योग्य है। उन्होने आगे यह भी कथन किया है कि सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 96 में यह विधि का सिद्धान्त पारित किया जा चुका है कि पक्षकारों की सहमति से जो डिक्री/आदेश न्ययालय ने पारित किया है उसकी कोई अपील नही होगी तथा भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 18 में यह विधि का सिद्धान्त पारित किया गया है कि अधिवक्ताओं एवं लिपिक सलाहकारों द्वारा की गई स्वीकृति जब कोई पक्षकार किसी अधिवक्ता को नियुक्त करता है तो उसके मामले को पूर्णतया अग्रसारित करने के लिऐ अधिकृत करता है तथा उसे सम्पूर्ण सूचनायें ज्ञापित कर देता है तो ऐसे अधिवक्ता द्वारा की गइ स्वीकृति उस पक्षकार द्वारा बाध्यकारी होती है।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने कथन किया है वर्तमान रेस्पोडेन्ट संख्या 1 श्रीमती भौरीदेवी ने एक दावा न्यायालय सहायक कलक्टर बस्सी के समक्ष उनवानी श्रीमती भौरीदेवी बनाम गणेश दावा बाबत घोषणा तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत किया था जिसमें अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र श्रीमती भौरीदेवी के पक्ष में तानिर्णय वाद अस्थाइ निषेधाज्ञा दिनांक 14.06.2016 को जारी कर सम्पूर्ण व्यक्तियों को वादग्रस्त भूमि मौके एवं रिकार्ड की यथास्थिति

संभागीय आयुक्त
जयपुर

बनाये रखने बाबत आदेश पारित किया जा चुका है एवं वर्तमान रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3 रामेश्वर शंकरलाल ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 10.06.2017 को राजीनामा प्रस्तुत कर निवेदन किया जा चुका है कि मृतक सूरजनारायण द्वारा छोड़ी गई सम्पूर्ण आराजीयात सम्पत्ति को वादिया को खातेदार काश्तकार घोषित कर दिया जावें तो कोई आपत्ति नही है।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने कथन किया है कि अपीलान्ट ने जानबुझकर न्यायालय श्रीमान् एवं मिन पक्षकारों को हैरान व परेशान करने की गरज से यह झूठी बनावटी एवं मनगढंत अपील प्रस्तुत की है जिसमें न्यायालय श्रीमान् एवं पक्षकारों को भारी आर्थिक एवं मानसिक परेशानी एवं कीमती समय की बर्बादी हुई इसलिये अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज फरमाई जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से प्रथमतया जाहिर होता है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्ट द्वारा हाल रेस्पोडेन्ट संख्या 1 भौरीदेवी की अपील आंशिक रूप से स्वीकार किये जाने पर अपनी सहमति दी गई है, द्वितीय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश से प्रकरण तहसीलदार बस्सी को उभयपक्ष को विधिवत नोटिस जारी कर, नियमानुसार सुनवाई का समुचित अवसर देकर, प्रस्तुत साक्ष्य, सबूत, दस्तावेजात के आधार पर बाद जॉच व्याप्त कानूनी प्रक्रिया तथा व्याप्त कानूनी प्रावधान अनुसार गुणावगुण के आधार पर पुनः निर्णय हेतु रिमाण्ड किया गया है जिसकी पालना में तहसीलदार बस्सी द्वारा कार्यवाही की जानी अभी बाकी है तो ऐसे में अपीलान्ट तहसीलदार बस्सी के समक्ष अपना पक्ष रखकर चाराजोही कर सकता है। ऐसी स्थिति में उपरोक्त तथ्यों के मद्देनजर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.12.2017 में किसी प्रकार की कानूनी त्रुटि प्रतीत नही होती है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, प्रथम जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.12.2017 को यथावत रखा जाता है।

(टी0रविकान्त)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 23.10.2018 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त,
जयपुर।